भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-39
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

नौकरियों में वृद्धि

39. श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एसः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री बी॰ मणिक्कम टैगोरः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक दृष्टि से देश के विकास की तुलना में रोजगार में वृद्धि का ब्यौरा प्रतिशत में क्या है तथा रोजगार सृजन में निराशाजनक प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) को त्वरित करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए देश के 500 मिलियन कार्यबल, जिसमें प्रवासी शामिल हैं, का औपचारिकीकरण करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(घ) कोविड-19 महामारी के कारण देश में रोजगार की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सरकार एक सर्व समावेशी राष्ट्रीय रोजगार नीति विकसित करने में विफल रही है और इसके क्या कारण हैं; और

(ड) कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में वास्तविक समय के आधार पर रोजगार परिदृश्य का आकलन करने और इसकी निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): (i) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या का अनुपात (डब्ल्यूपीआर) नीचे दिया गया है:

	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)
वर्ष एवं सर्वेक्षण	अखिल-भारत
2018-19 (पीएलएफएस)	47.3%
2017-18 (पीएलएफएस)	46.8%

(ii) तीन वर्षों के दौरान स्थिर (2011-12) कीमतों पर वार्षिक जीडीपी विकास दर नीचे दी गई हैः

वर्ष	जीडीपी विकास दर (% में)
2019-20	**4.2**
2018-19	**6.1**
2017-18	**7.0**

(ख) से (घ): भारत सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति का विकास करने के लिए प्रयास किए हैं। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ, वृह्द-आर्थिक नीतिगत मामलों, क्षेत्रक नीतिगत मामलों, श्रम नीति, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मामलों, कौशल विकास के मामलों, महिलाओं और कमजोर कामगारों से संबंधित मामलों का समाधान करना और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए सुझावों को शामिल करना है। नीति में आगतों हेतु विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों, राज्य सरकारों, व्यापार संघों, उद्योग परिसंघों आदि के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

तथापि, कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। पहले चीन में और अब विश्व के अधिकांश देशों में फैल चुके नए कोरोना वायरस (कोविड-19) का फैलाव मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ ट्रेड, उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला विघ्नों; मांग में गिरावट; कम पर्यटन एवं व्यापारिक यात्रा तथा उत्पादकता के नुकसान जैसे अनेकों माध्यमों से वैश्विक विकास दृष्टिकोण के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरा है। इस अवधि के दौरान भारत में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों की अनपेक्षित समस्याओं, हल्के कामगारों तथा रोजगार के खो जाने की अनपेक्षित समस्याओं का भी अवलोकन किया गया है। यह अभूतपूर्व समय राष्ट्रीय रोजगार नीति पर पत्र के लिए समग्र पुनः विचार तथा हालिया अनेपक्षित घटनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रक नीतियों के साथ इसके समन्वय हेतु विवश करता है।

(ङ): केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तथा भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की हिमायत की है। कोविड-19 संकट के कारण देश द्वारा जिस नई आर्थिक स्थिति का सामना किया गया है उसके संदर्भ में कौशल विकास करने तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने के तौर तरीकों पर कार्य के लिए माननीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री, श्री थावरचन्द गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक कार्यकारी समूह (जीओएम) की स्थापना की गई है।

******